



## CCI ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(CCI\)](#) ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा [लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड](#) के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

### मुख्य बंदि:

- अडानी पावर लिमिटेड (अधिग्रहणकर्त्ता), अडानी समूह का एक हस्सिा जो भारत के कानूनों के तहत नगिमति कंपनी है।
  - यह भारत में [ताप वदियुत उत्पादन](#) के व्यवसाय में लगी हुई है
  - यह [गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड और मध्य प्रदेश](#) सहित भारत के कई राज्यों में ताप वदियुत संयंत्र संचालति करती है।
  - अडानी समूह एक वैश्वकि एकीकृत बुनयिदी ढाँचा कंपनी है, जो प्रमुख उद्योग क्शेत्रों [संसाधनों, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा](#) में कारोबार करती है।
- लैंको समूह का एक हस्सिा [लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड \(लक्ष्य\)](#) भारत में ताप वदियुत उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है।
  - यह वर्तमान में [द्विाला और शोधन अक्षमता संहति, 2016 \(IBC\)](#) के तहत [कॉर्पोरेट द्विाला समाधान प्रक्रिया \(CIRP\)](#) से गुज़र रहा है।
  - प्रस्तावति संयोजन अधिग्रहणकर्त्ता द्वारा लक्ष्य की 100% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंघति है।

### भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)

- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग एक सांघिकि नकिया है जो प्रतस्पर्द्धा अधनियिम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लयि उत्तरदायी है। इसका वधिवित गठन मारच 2009 में कयिा गया था।
- राघवन समति की सफिरशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतबिंघात्मक व्यापार व्यवहार अधनियिम (MRTP Act), 1969 को नरिस्त कर इसे प्रतस्पर्द्धा अधनियिम, 2002 द्वारा प्रतसिंघापति कयिा गया है।

### द्विाला और शोधन अक्षमता संहति, 2016

- इसे भारत के आर्थकि इतिहास में सबसे बड़े शोधन अक्षमता सुधारों में से एक माना जाता है।
- इसे ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकितम करने के लयि समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनरगठन तथा शोधन अक्षमता समाधान के लयि अधनियिमति कयिा गया था।

### कॉर्पोरेट द्विाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)

- भारत में CIRP, IBC द्वारा शासति एक समयबद्ध प्रक्रिया है जसिका उद्देश्य अपनी संपत्ति के मूल्य को अधिकितम करते हुए कॉर्पोरेट देनदार के वत्तितीय संकट को हल करना है।
- इस प्रक्रिया का प्राथमकि उद्देश्य वत्तितीय रूप से संकटग्रस्त कंपनी का पुनरुद्धार सुनशिचति करना है और ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी का पुनरुद्धार संभव नहीं है, यह संकटग्रस्त कंपनी की संपत्ति का व्यवस्थति परसिमापन सुनशिचति करता है जसि कॉर्पोरेट देनदार घोषति कयिा गया है।

